

प्रेस नोट  
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

दिनांक 12.10.2020

- थाना बालैनी पुलिस द्वारा 25–25 हजार रूपये के ईनामी 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय कारतूस नाजायज बरामद।

➤ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खेकड़ा के नेतृत्व में थाना बालैनी पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.10.2020 को मुख्यिक व क्षेत्राधिकारी दौरान सुबह समय करीब 07:25 बजे ग्राम बूढ़सैनी से अमीनगर सराय जाने वाले रास्ते पर जाहरवीर बाबा मंदिर के पास से वांछित अभियुक्त 1—नितिन उर्फ जिंद पुत्र महीपाल निवासी मतानतनगर थाना बालैनी जनपद बागपत 2—राजन पुत्र उम्मेद निवासी ग्राम बूढ़सैनी थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त नितिन के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त नितिन उर्फ जिंद व राजन थाना बालैनी के मु0अ0सं0 108 / 2020 धारा 2 / 3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे थे। जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25–25 हजार रूपये का ईनाम धोषित किया गया था। अभियुक्त नितिन उर्फ जिंद के विरुद्ध दिल्ली व जनपद बागपत के थाना बालैनी व सिंधावली अहीर पर चोरी, लूट, गुण्डा, घस्त्र व गैंगस्टर अधिनियम सहित 15 अभियोग व अभियुक्त राजन के विरुद्ध जनपद बागपत के थाना बालैनी पर लूट, व गैंगस्टर अधिनियम सहित 03 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बालैनी पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ अभियुक्त का नाम व पता—

1—नितिन उर्फ जिंद पुत्र महीपाल निवासी मतानतनगर थाना बालैनी जनपद बागपत। (25 हजार रूपये का ईनामी)

2—राजन पुत्र उम्मेद निवासी ग्राम बूढ़सैनी थाना बालैनी जनपद बागपत। (25 हजार रूपये का ईनामी)

➤ बरामदगी का विवरण :-

नितिन के कब्जे से अवैध एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस।

➤ अभियुक्त नितिन उर्फ जिंद का अपराधिक इतिहास—

1—मु0अ0सं0 90 / 2013 धारा 379, 411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

2—मु0अ0सं0 181 / 2013 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

3—मु0अ0सं0 134 / 2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत।

4—मु0अ0सं0 263 / 2015 धारा 356 भादवि थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत।

5—मु0अ0सं0 369 / 2015 धारा 294 भादवि थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत।

6—मु0अ0सं0 115 / 2014 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

7—मु0अ0सं0 95 / 2017 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

8—मु0अ0सं0 45 / 2018 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

9—मु0अ0सं0 150 / 2018 धारा 25 / 4 घस्त्र अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

10—मु0अ0सं0 803 / 2019 धारा 379, 411 भादवि थाना महेन्द्रपार्क दिल्ली।

11—मु0अ0सं0 53 / 2020 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।

12—मु0अ0सं0 73 / 2020 धारा 392, 411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

13—मु0अ0सं0 75 / 2020 धारा 3 / 25 घस्त्र अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

14—मु0अ0सं0 108 / 2020 धारा 2 / 3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

15—मु0अ0सं0 111/2020 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

➤ अभियुक्त राजन का अपराधिक इतिहास—

1—मु0अ0सं0 73/2020 धारा 392, 411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

2—मु0अ0सं0 76/2020 धारा 4/25 षस्त्र अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

3—मु0अ0सं0 108/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

- थाना दोघट पुलिस द्वारा विस्फोटक अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 02 कुन्तल 95 किलोग्राम अतिषबाजी बरामद।

---

थाना दोघट— पुलिस द्वारा दिनांक 11.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर रात्रि समय करीब 21:45 बजे कस्बा दोघट से हाषिम पुत्र यासिन निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 02 कुन्तल 95 किलोग्राम अतिषबाजी बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना छपरौली— पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 1—विपिन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली 2—षौकिन उर्फ षौकेन्द्र पुत्र निरंजन सिंह निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।